पीठासीन अधिकारी–महेन्द्र लोढा

प्रकरण संख्या–06/2014 तारीख रजू 20.05.14

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर । ––– सायल (प्रार्थी)

बनाम

मुस्ताक पुत्र साबुद्दीन जाति मुसलमान तेली निवासी चमनपुरा, उदेई मोड गंगापुर सिटी।

––– गैरसायल (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक– 19.1.18

पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा यह अभियोग–पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैरसायल (अप्रार्थी) मुस्ताक पुत्र श्री साबुद्दीन जाति मुसलमान निवासी चमनपुरा, उदेई मोड गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरूद्ध पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला जिला सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीबद्ध होना बताया है।

मुकदमा	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
[illegible]/09	6.11.09	13 आर.पी.जी.ओ.	–	–	सजा दिनांक 14.12.09
[illegible]/09	16.04.10	13 आर.पी.जी.ओ	90	25.04.10	सजा दिनांक 16.9.11
[illegible]/10	14.9.10	13 आर.पी.जी.ओ	310	30.09.10	सजा दिनांक 8.11.10
[illegible]/10	24.11.10	13 आर.पी.जी.ओ.	391	28.11.10	सजा दिनांक 2.5.11
[illegible]/11	8.5.11	13 आरपीजीओ	135	13.5.11	सजा दिनांक 3.8.11
[illegible]/11	28.7.11	13 आरपीजीओ	261	30.7.11	सजा दिनांक 12.8.11
[illegible]/11	3.11.11	13 आरपीजीओ	411	12.11.11	सजा दिनांक 14.11.11
[illegible]/13	–	13 आर.पी.जी.ओ.	328	7.12.13	–

उक्त पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणो मे बाद् जॉच चार्जशीट किता कर संबंधीत न्यायालय में चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणों में दोषी मानते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। गैरसायल जुआ सट्टे में लिप्त रहकर स्थानीय भोले व सीधे साधे लोगों को दाव पर धन लगाने के लिए उकसाकर तथा हार जीत के खेल भाग्य के आधार पर दाव लगाकर खाईवाली करता है। गैरसायल को अपने निवास स्थान गंगापुर सिटी में रहने देना लोक व्यवस्था व लोक क्षेत्र के लिए घातक है। गैरसायल के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

SHO
Ps Gangapur City
Distt. Sawai Madhopur

न्यायालय मे पेश किया गया है जिनमें से सात प्रकरणों में न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषी सिद्ध किया जा चुका है। लेकिन गैरसायल बिना किसी कानून के डर से उक्त अपराध बार-बार कर रहा है जिससे सरकार एवं पुलिस प्रशासन की छवि धुमिल हुई है जो लोक व्यवस्था एवं लोक क्षेत्र के लिए घातक है। अतः गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

अभियोग पत्र के साथ तालिका में अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रति, न्यायालय निर्णय की प्रतियॉ प्रस्तुत है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक उपस्थित आया। गैरसायल श्री मुस्ताक पुत्र साबुद्वीन जाति तेली मुसलमान द्वारा अभियोग पत्र मे लगाये आरोपो का खण्ड करते हुए जवाब पेश किया गया ।

अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य मे पी.डब्ल्यू 1 रामबाबू उप निरीक्षक पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के बयान करवाये जो शामिल मिसल किये गये। बचाव पक्ष की साक्ष्य वकील गैरसायल द्वारा नहीं कराने हेतु निवेदन करने पर साक्ष्य बचाव पक्ष बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

अभियोजन अधिकारी एवं वकील गैरसायल (अप्रार्थी) की बहस सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया है कि अप्रार्थी को पुलिस द्वारा आठ बार 13 आरपीजीओ अधिनियम के अन्तर्गत कृत्य कारित करते हुए पकडे जाने पर बाद अनुसंधान क्षेत्राधिकार अधिकारिता न्यायालय में चालान पेश किया गया। उक्त प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को 13 आरपीजीओ के 7 प्रकरणों में अपराध सिद्व ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया है।, 13 आरपीजीओ का उक्त अपराध समाज के लिए अभिशाप है जो जनहित के लिए हानिप्रद एवं समाज मे दुष्प्रेरणा प्रसारित करने व शांत वातावरण को दूषित करने वाला है। गैरसायल 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत 3 बार दोषी पाये जाने पर गुण्डा की परिभाषा मे आता है। अतः गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

विद्वान वकील गैरसायल ने जवाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बसह में बताया है गैरसायल के विरूद्व पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाया है जिसके तहत कानूनी प्राविजन के तहत कानूनन छः माह की अवधि में लगातार 3 आपराधिक केस दर्ज होना आवश्यक जबकि गैरसायल के विरूद्व यह दुसरा ही प्रकरण है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

SHO
Ps.Gangapur City
Distt. Sawai Madhopur

2. गैरसायल की गतिविधिया एवं प्रवृतिया अनैतिक एवं दुष्प्रेरित है जो थाना क्षेत्र गंगापुर सिटी एवं जिला सवाई माधोपुर के लिए घातक एवं खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेश्रित करने वाली है।
3. गैरसायल के विरूद्व यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल जिले मे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (3) मे वर्णित आपराधिक कृत्य कारित करने में संलिप्त है।
4. गैरसायल का कृत्य अनैतिक है जो समाज के लिए अभिशाप है।

लिहाजाः–

मैं महेन्द्र लोढा अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाई माधोपुर गैरसायल श्री पुरूषोत्तम सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी सीमेन्ट फेक्ट्री थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा गैरसायल को 30 दिवस की समयावधि के लिए जिला सवाई माधोपुर व थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर परिक्षेत्र से निष्काषित करने का आदेश देता हूँ। थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को आदेश जारी हो कि वे निर्णय प्रसारित की तिथी से 15 दिवस पश्चात गैरसायल को 30 दिवस की समयावधि के लिए जिला करौली के थाना करौली पर रहने हेतु थानाधिकारी करौली को सुपुर्द करे। गैरसायल को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जावे। गैरसायल वहाँ रहने की जानकारी के लिए थाने में उपस्थिति देगा एवं 30 दिवस की समाप्ति से पूर्व जिला सवाई माधोपुर के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नही करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर/करौली एवं एक प्रति थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर/थानाधिकारी थाना करौली जिला करौली को भेजे व एक प्रति गैरसयाल को दी जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.1.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

नोटः- निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 के लिहाजा की पंति संख्या 2 पर अंकित पुरूषोत्त सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी सीमेन्ट फेक्ट्री सवाई माधोपुर के स्थान पर मुस्ताक पुत्र साबुद्दीन जाति मुसलमान तेली निवासी [illegible] उदेई मोड गंगापुर सिटी पढा जावे। उक्तानुसार आज दिनांक को मूल निर्णय में संशोधन किया [illegible] है।

2.2.18

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर